न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R 709-III/14

चतुर्भज तनय हल्का ढीमर ,

निबासी ग्राम दुर्गानगर तह0 वल्देवगढ़ तह0 जिला टीकमगढ़

.....आवेदक

विरूद्व

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ ..... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:—

1 यह कि आवेदक यह निगरानी अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 469/बी—121/2011—12 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 22/01/2014 से परिवेदित होकर कर रहा है, जो समय सीमा में हैं तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक उपरोक्त ग्राम का निबासी होकर एक गरीब खेतीहार मजदूर था। आवेदक का ग्राम दुर्गानगर की भूमि खसरा नं0 563जु0 रकवा 0.506 हैक्टर पर 1984 के पूर्व से पिता के समय से दो फसली कब्जा चला आ रहा है। कि तहसीलदार वल्देवगढ़ के न्ययायल में आवेदन पत्र प्रसतुत करने पर उनके द्वारा अपने प्र0 क0 51/अ—19(4)/1995—96 में पारित आदेश दिनॉक 20/03/1996 के द्वारा वादग्रस्त उपरोक्त भूमि का ब्सवस्थापन बिशेष उपबंध अधिनियम में तहत किया गया था। तभी से आवेदक वादग्रस्त भूमि पर मालिक काबिज चला आ रहा है।

3— यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ द्वारा एक प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा गया कि आवेदक बिशेष उपबंध अधिनियम 1984 में दी गई भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आता है। आवेदक का भूमि पर 02 अक्टूवर 1984 के पूर्व का कब्जा नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 709/III/ 2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 469/बी–121/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–01–2014 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने। उन्होंने बताया कि आवेदक को ग्राम दुर्गानगर की भूमि सर्वे नंबर 563 रकबा 0.1984 पर विशेष उपबंध अधिनियम के तहत 2–10–84 के पूर्व से कब्जा होने के कारण प्रकरण कमांक 51 अ–19/95–96 में पारित आदेश दिनांक 20–3–96 से तहसीलदार बल्देवगढ़ ने भूमि व्यवस्थापित की है जिसे कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी कमांक 25/02–03 में पारित आदेश दिनांक 2–1–04 से निरस्त करने में त्रृटि की गई, जब इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, सागर संभाग के समक्ष निगरानी की गई, उन्होंने प्रकरण कमांक 469/बी–121/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–01–2014 से निगरानी अवधिवाह्य होना मानकर निरस्त करने में भूल की है क्योंकि अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में स्पष्ट कारण बताये गये थे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 22–1–14 के अवलोकन पर	

पाया गया कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के स्वमेव निगरानी कमांक 25/02–03 में पारित आदेश दिनांक 2–1–04 के विरूद्व निगरानी दिनांक 17–11–2011 को अर्थात 7 वर्ष 10 माह वाद प्रस्तुत की गई है जिसे अपर आयुक्त ने समयावाह्य पाकर निरस्त किया है –

1. भू–राजस्व संहिता,1959 (म.प्र.)–धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – विलंब माफी हेतु आवेदन – आदेश की जानकारी का सही श्रोत नहीं दर्शाया गया – प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं – विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
2. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 469/बी–121/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–01–2014 उचित पाये जाने से निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर